**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**31.07.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1467 का उत्तर**

**एनएमपी कोंकण रेलवे और डीएफसी परिसंपत्तियां**

**1467. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) उन प्रत्येक परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कोंकण रेलवे में एनएमपी और समर्पित मालढुलाई गलियारा परिसंपत्तियां पट्टे पर दी जाएंगी;**

**(ख) सरकार उपरोक्त चिन्हित परिसम्पत्तियों के माध्यम से वर्तमान में कितना वार्षिक राजस्व अर्जित कर रही है;**

**(ग) चिन्हित परिसम्पत्तियों को पट्टे पर दिए जाने के बाद प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;**

**(घ) क्या पट्टेधारक द्वारा नौकरियों में आरक्षण नीति जारी रखी जाएगी; और**

**(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि कोई छंटनी न हो और आरक्षण नीति को बनाए रखा जाए?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ङ): 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) का संयुक्त स्वामित्व रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार, महाराष्ट्र,**

**गोवा, कर्नाटक और केरल की सरकारों के पास है जिसकी शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार है:-**

| शेयरधारक | शेयर का प्रतिशत |
|---|---|
| रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार | 59.18 |
| महाराष्ट्र सरकार | 18.68 |
| कर्नाटक सरकार | 12.74 |
| गोवा सरकार | 4.30 |
| केरल सरकार | 5.10 |

**जबकि, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) का स्वामित्व पूरी तरह से रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास है। यह परियोजना हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की कार्गो मांग को पूरा कर रही है। फिलहाल, इन परियोजनाओं के मुद्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।**

*****